



राजस्थान सरकार  
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर  
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan  
Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>  
e-mail: jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);

क्रमांक: एफ4 (47)आकाशि /नि.सं./2021/ 364

दिनांक:- 05/08/2021


### आदेश

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्संबंधी नियम, 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2021-22 से 2023-24 (तीन सत्र) के लिए स्नातक स्तर पर नवीन निजी महाविद्यालय संचालन हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है-


संचालक संस्था	महाविद्यालय का नाम	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	पात्रायकम्
रघुकूल शिक्षा समिति, एल-5, शालीमार कॉलोनी, आदर्श नगर, अजमेर।	श्री राम गल्ट कॉलेज, मेघा पैरालाइज के पास, साभरिया रोड, बहस्ती, जयपुर।	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।	अनिवार्य विषयों सहित स्नातक स्तर पर कला संकाय-हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, समाजशास्त्र, भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान, गृहिविज्ञान, लोकप्रशासन विज्ञान संकाय- भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, मणित।

- संस्था अस्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त प्रत्येक सत्र हेतु नियमानुसार मय निरीक्षण शुल्क आवेदन करेगी।
- संस्था सत्र 2024-25 में निर्धारित अवधि में नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र अभियुक्त हेतु आवेदन करेगी।
- संस्था किए गए भवन में संचालित महाविद्यालय हेतु प्रथम अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्ति पश्चात् तीन सत्रों में मानदण्डानुसार स्वयं की भूमि पर स्वयं के भवन का निर्माण पूर्ण करेगी।
- संस्था द्वारा सावधि जामा राशि (एफ.डी.आर.) का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
- आवश्यकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगी।
- संस्था संबधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विषय महाविद्यालय के प्रकरण में बी0सी0आई0 से मान्यता य विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाय।
- संस्था प्रथम अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् महाविद्यालय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित योग्यताधारी अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति सुनिश्चित करेगी।
- संस्था संकाय व विषयार्थी सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेगी तथा महाविद्यालय तदनुसार तथा संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा।
- राज्य सरकार की महाविद्यालय प्रवेश नीति 2021-22 तथा वाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
- संस्था प्रति वर्ष विभाग की वेबसाइट [www.hte.rajasthan.gov.in](http://www.hte.rajasthan.gov.in) से सांख्यिकी पुस्तिका एवं महाविद्यालय विवरणिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनाये भरकर आयुक्तालय को भेजेगी।
- मानव संसाधन विकास मंत्रीलय, भारत सरकार के वेबपोर्टल [www.aishe.nic.in](http://www.aishe.nic.in) पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF-II (Data Capture format-II) भरकर अपलोड करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् महाविद्यालय इसकी हार्ड कॉपी आगामी 15 दिवस में प्रस्तुत करेंगा।

उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा।

  
 अधिकृत  
 कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -
- विशिष्ट सचिव, माठ उच्च शिक्षा मंत्री मोहोदय, राजस्थान, जयपुर।
  - निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
  - निजी सचिव आयुक्त आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर।
  - जिला कॉलेक्टर, जयपुर।
  - कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
  - सम्बन्धित संस्था / महाविद्यालय।
  - सांख्यिकी शास्त्री, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
  - रक्षित पत्रावली।

  
 संयुक्तनिदेशक (नि०सं०)  
 कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर



राजस्थान सरकार  
आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर  
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan  
Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>  
e-mail: [jdpi.cce@gmail.com](mailto:jdpi.cce@gmail.com) Ph.: 0141-2706736(0)

क्रमांक : एफ4 (35) आकाशि / नि.सं./ DCE/2024-2025/0032

### आदेश

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्संबंधी नियम, 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अयतन निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत के लिए सत्र 2024-25 (एक सत्र) स्नातक स्तर पर पूर्व संचालित संकाय / विषयों में अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र अभिवृद्धि निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत की जाती है-

**संचालक संस्था : RAGHUKUL SHIKSHA SAMITI || L-5, SHALMAR COLONY ADRASH NAGAR AJMER RAJASTHAN**

**महाविद्यालय का नाम : SHRIRAM GIRLS COLLEGE || NEAR MEGHA PERADISE SAMBHARIYA ROAD BASSI, JAIPUR, , Jaipur Division, Jaipur(Rural), Bassi, Bassi, Bassi, 303301**

**सम्बद्ध विश्वविद्यालय :University of Rajasthan, Jaipur**

**पूर्व संचालित संकाय/ विषय : Arts स्नातक - Bachelor of Arts Geography, History, Home Science, Political Science, Public Administration, Sociology, ENGLISH LITERATURE, HINDI LITERATURE Science स्नातक - Bachelor of Science Chemistry, Mathematics, Physics**

1. संस्था सत्र 2025-26 में निर्धारित अवधि में नियमानुसार अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र में अभिवृद्धि हेतु आवेदन करेगी।
2. संस्था द्वारा सावधि जमा राशि (एफ.डी.आर.) का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
3. आवश्यकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगी।
4. संस्था को समय-समय पर यू.जी.सी. / राज्य सरकार / आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
5. संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी०सी०आई० से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाये।
6. संस्था संकाय व विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेगी तथा महाविद्यालय तदनुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा।
7. संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-2 अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी।
8. राज्य सरकार की महाविद्यालय प्रवेश नीति 2024-25 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
9. संस्था प्रति वर्ष विभाग के NOC पोर्टल पर आवश्यक सांख्यिकी एवं महाविद्यालय की सूचनाएँ प्रवेश प्रक्रिया समाप्त होने पर आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा निर्धारित अवधि में भरकर अपलोड करेगी।
10. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल [wwwaishe.nic.in](http://wwwaishe.nic.in) पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF-II (Data Capture format-II) भरकर अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय अपलोडेड प्रमाण-पत्र की हार्ड कॉपी आवश्यकतानुसार आयुक्तालय में प्रस्तुत करें।
11. संस्था को सत्र 2024-25 हेतु पूर्व संचालित विषय/संकाय में अस्थायी प्रमाण पत्र में अभिवृद्धि मापदण्डों के पूर्ति के अभाव में नीति नियमानुसार निर्धारित शास्ति रुपये 1,00,000/- अक्षरे एक लाख रुपये मात्र के भुगतान के उपरांत जारी की गई है।

उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा।

आयुक्त  
कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. विशिष्ट सहायक मा० उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव शासन सचिव उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव आयुक्त आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर।
4. जिला कलेक्टर जयपुर (ग्रामीण)।

5. सचिव, University of Rajasthan, Jaipur

6. सचिव सम्बन्धित महाविद्यालय।

7. सार्वजनिक शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

8. रक्षित पत्रावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash  
Bairwa  
Date: 2024.11.25 18:03:31 IST  
Reason: SelfAttested